

# कार्यालय : मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण

32, सिविल लाइन्स, मथुरा ।

पत्रांक : 508/19-10-17/म0वृ0वि0प्रा0/2017-18

दिनांक : 14/8/17


श्री नीरव निमेश अग्रवाल  
डायरेक्टर,  
मै0 टैकमेन बिल्डवेल प्रा0लि0  
ए-20-21, मोतीकुंज, मथुरा ।

## विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र दिनांक 25.07.17 के सम्बन्ध में टैकमेन सिटी फेस-4, खसरा संख्या 72, 73 व 74, मौजा नवादा, जिला मथुरा पर विकसित योजना के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री संजीव गुप्ता, सहायक अभियन्ता व श्री संजय गौतम, अवर अभियन्ता मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28.07.17 को कर लिया गया है, जिसमें प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र सही पाया गया है । अतः उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 क (2) के अन्तर्गत निम्न शर्तों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।

शर्तः-

- 1- विकासकर्ता को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मथुरा के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा ।
- 2- विकासकर्ता को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को निरन्तर अनुरक्षण करते हुए सुचारु रखा जायेगा ।
- 3- विकासकर्ता को विद्युत सम्बन्धित कार्य विद्युत विभाग को हस्तान्तरित करने होंगे ।
- 4- विकासकर्ता को कालौनी के रख-रखाव सम्बन्धित समस्त कार्य मथुरा नगर निगम को हस्तान्तरित करने होंगे ।



सचिव

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण,  
मथुरा ।